उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड

(कार्मिक अनुभाग–एक)

संख्या 613-सी/उ0नि0(एक)–03/2019–20

दिनांक : देहरादून : 24.5.2019

समस्त महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तराखण्ड।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जानी है। अतः तदनुसार दुर्गम एवं सुगम क्षेत्र में कार्यरत अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों की साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की गई पदवार सूची विभागीय वेबसाईट www.doiuk.org पर अपलोड की गई है। स्थानान्तरण हेतु विकल्प भरे जाने एवं अपना सेवा विवरण देखने हेतु कार्मिकों के लागिन आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्ववत् रहेंगे।

2. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17(2)(घ) के अनुसार विभागीय संगठन के प्रान्तीय/जिला स्तरीय अध्यक्ष/सचिवों को पद धारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, की अवधि हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण नहीं किया जाना है। तदनुसार साफ्टवेयर द्वारा विभागीय संगठन के सभी प्रान्तीय/जिला स्तरीय अध्यक्ष एवं सचिवों, जिनका कार्यकाल वर्तमान स्थानान्तरण सत्र की आधार तिथि 31 मई, 2019 को उक्तानुसार पूर्ण नहीं हुआ है, को अनिवार्य स्थानान्तरण की उक्त वर्णित सूचियों में शामिल नहीं किया गया है।

3. साफ्टवेयर द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–3(ज) एवं धारा–7 (घ)(एक) के अनुसार 55 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के कार्मिकों को उक्त वर्णित सूचियों में शामिल नहीं किया गया।

4. अतः आप सूची में शामिल अपने अधीनस्थ कार्मिकों से www.karmik.doiuk.org पर कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु विकल्प दिनांक 30 मई, 2019 तक भरवाना सुनिश्चित करें। यदि सूची में शामिल किसी कार्मिक द्वारा दिनांक 30 मई, 2019 तक अपना विकल्प नहीं भरा जाता है तो तदनुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा निर्धारित मानकों के तहत् सम्बन्धित कार्मिक के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

5. यद्यपि कतिपय कार्मिकों द्वारा वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है तथापि अपने अधीनस्थ अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों के प्रार्थना पत्र उक्त वर्णित वेबसाईट पर पूर्व की भांति आवश्यक अभिलेखों एवं अपनी संस्तुति सहित दिनांक 30 मई, 2019 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(एस0सी0नौटियाल)
निदेशक उद्योग।